राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

–: तार्किक आदेश :–

वाद संख्या–विधि 60–191/2022...4346 पटना, दिनांक– **19.11.2025**

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद–C.W.J.C.No- 320/2022 कपिलदेव यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–05.08.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

> "After some arguments, learned counsel for the petitioners **seeks leave to withdraw the present** application with libertly to make a comprehensive representation with regard to the grievance of the petitioners before the State Election Commission.
>
> Leave is granted.
>
> The application is disposed of.
>
> In case any representation is filed by the petitioners regarding **correction in the voter-list,** it is expected that the State Election Commissioner shall look into the same and pass orders in accordance with law."

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक–11.11.2022 को आयोग में दिये गये representation पर आयोग में वाद पर सुनवाई दिनांक–25.11..2022, 03.01.2023, 28.02.2023, 27.04.2023, 18.05.2023, 11.07.2023, 17.10.2023, 30.11.2023, 25.04.2024, 05.08.2024, 14.08.2024, 11.11.2024, 03.03.2025, 31.05.2025 तथा 18.09.2025 को की गई।

3. वादी श्री कपिलदेव यादव की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीराम कृष्ण, श्री प्रभात कुमार तथा श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग में पक्ष रखा गया।

विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा आयोग को बताया गया कि कजूर ग्राम के पुनर्गठन के फलस्वरूप दो पंचायतों उत्तरी कजूर पंचायत एवं दक्षिणी कजूर पंचायत का गठन किया गया, परन्तु उत्तरी कजूर पंचायत के निवासी दक्षिणी कजूर पंचायत के मतदाता सूची के साथ टैग किए जाते है तथा दक्षिणी कजूर पंचायत के निवासी उत्तरी कजूर पंचायत के मतदाता सूची के साथ टैग किए जाते हैं। यह विसंगति विगत 20 से अधिक वर्षों से होती आ रही है, परन्तु स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा अबतक इसका निराकरण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 04 ग्राम नामतः भीवालाल दीघा, अम्बा दीघा, लालूचक तथा कन्हैया दीघा न तो किसी पंचायत में शामिल है और न ही किसी नगर निकाय में।

4. वादी द्वारा अपने लिखित representation में जिन बिन्दुओं को उठाया गया है उसका विवर्ण निम्नवत् है– "That the District Gazette indicating the villages falling in the respective Panchyats was notified by the Office of the District Magistrate, Gaya on 06.11.1995 in which four villages of the region/locality namely **(i) Bheevala Digha, (ii) Ambaa Digha, (iii) Laluchak and (iv) Kanahiya Digha** seem to have been completely left out as the have neither been included in the Northern Kajoor Panchayat or the Southern Kajoor Panchayat which is also in violation of the relevant satatutory provisions. Further, it may be stated that unfortunately the last few Panchayat Elections have not been held as per the District Delimitation as set out in the Distirict Gazette which ultimately impacts the results of the candidates. The undersigned who has been a contesting candidate in the past elections has raised this grievance on several occasions by way of representatiuons/objections before the appropriate authorities but the authorities have paid no heed to the said grievance."

" That it may be stated that as per the District Gazette, the Village Kajoor was divided into two Panchayats i.e., Northern Kajoor and Southern Kajoor. However, it may be stated that all the villagers of the entire Kajoor vote in the Northern Kajoor Panchayat even though the Southern part of Kajoor willage has been shown in the District Gazette as Southern Kajoor Panchayat. Further, it may be stated that for illustration, the electorates of two villages of southern Kajoor i.e., villages Imamganj and Phool Bigha who should be voting in the Southern Kajoor Panchyat vote in the Northern Kajoor Panchayat. As a result of the aforesaid, it is most humbly submitted that the elections are not being held as per the District Gazette as shown in the Delimitation thus rendering the Panchayat Elections invalid and unconstitutional."

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गया द्वारा पत्रांक–1016/पं0 दिनांक–17.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रमुख अंश निम्नवत् है–

"जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री कपिलदेव यादव एवं अरविन्द सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या CWJC No-320/2022 में दिनांक–05.08.2022 को पारित आदेश के संबंध में प्रतिवेदित है कि परिवादी श्री कपिलदेव यादव एवं अन्य द्वारा अपने परिवाद में उल्लेख किया गया है कि 04 (चार) गाँव भीवालाल दीघा, अम्बा दीघा, लालुचक तथा कन्हैया दीघा का नाम नहीं दर्शाया गया है, प्रथम पंचायत आम निर्वाचन 2001 के अनुसार अभी तक पंचायत चुनाव होते आ रहा है।

कजुर ग्राम मे नाम से दो पंचायत है क्रमशः उत्तरी कजुर एवं दक्षिणी कजुर। उत्तरी कजुर में वार्डों की कुल संख्या–09 है, जबकि दक्षिणी कजुर पंचायत में वार्डों की संख्या–10 है। दोनों पंचायतों में सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार गाँव एवं टोले शामिल है। कोई भी गाँव/टोले

छुटा हुआ नहीं है। **वर्त्तमान में पंचायत आम निर्वाचन 2021, पंचायत निर्वाचन, 2016 के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार सम्पन्न किया गया है।"**

इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरी कजुर एवं दक्षिणी कजुर के मतदाता अपने–अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे है।

जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया कि परिवादी अरविन्द सिंह, पिता–मुन्द्रिका सिंह, ग्राम–कजुर जो प्रथम आम चुनाव–2001 में स्वयं मुखिया थे। लगातार वर्ष 2001 से कई पंचायत चुनाव हुए किन्तु परिवादी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया है एवं नहीं अन्य श्रोतों से कोई आपत्ति प्राप्त हुई है। परिवादी श्री सिंह पंचायत आम निर्वाचन–2021 में ग्राम पंचायत उत्तरी कजुर से सरपंच पद के उम्मीदवार थे लेकिन श्री सिंह के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत दक्षिणी कजुर के वार्ड नं0–04 एवं वार्ड न0–08 का मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान–पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा परिवादी के कथन को तथ्यहीन एवं बेवुनियाद बताया गया है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तरी कजुर एवं दक्षिणी कजुर में सभी मतदाता अपने–अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहें है एवं प्रारंभ से अबतक दोनों पंचायतों में चुनाव कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न होते आ रहा है।"

6. प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त इसकी प्रति प्रभावित पक्ष को भी दी गयी। उनके द्वारा 4 (चार) गाँव भीवालाल दीघा, अम्बा दीघा, लालुचक एवं कन्हैया दीघा के भौतिक अवस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया परन्तु उनके द्वारा मतदाताओं के संबंध में अपने दावे को पुनः सही ठहराया गया है।

7. वादी के दावे के अनुरोध में आयोग द्वारा पुनः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गया को यह आदेश दिया गया कि वादी के मतदाता संबंधी दावे की पुनर्जाँच की जाए तथा परिवादी से यह सूचना प्राप्त कर ली जाए कि किन–किन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सका। आयोग द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करने का आदेश दिया गया था।

8. उक्त आदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदन पत्रांक–2501/पं0 दिनांक–13.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसका सारंश निम्नवत् है–" विषयांकित मामले की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी से कराई गई है एवं जाँच प्रतिवेदन भवदीय को प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया है। दिनांक–11.07.2023 को

सुनवाई के दौरान सुनवाई में उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत वरीय उप समाहर्त्ता को दिये गये निदेश के आलोक में पुनः मामले की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी से कराई गई। जाँच पदाधिकारी द्वारा पत्र संख्या–2204/सा0, दिनांक–29.09.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि निदेशानुसार स्थलीय जाँच हेतु संबंधितों को नोटिस मिलान हेतु जाँच किया गया एवं विडियोग्राफी भी कराई गई। प्रथम वादी श्री कपिलदेव यादव द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि वे अपनी पत्नी के ईलाज के लिए कोलकता गये हुए हैं तथा लम्बे समय के बाद ही घर लौट पायेंगे। द्वितीय वादी अरविन्द सिंह जाँच स्थल पर उपस्थित होने से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा स्थलीय जाँच में उपस्थित ग्रामीण के द्वारा दिये गये लिखित बयान सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न प्रकार है–

ग्राम कन्हैया विगहा के ग्रामीणों द्वारा बयान दिया गया है कि हम लोग पंचायत चुनाव में प्राथमिक विद्यालय शिवलाल बिगहा, पंचायत दक्षिणी कजुर, प्रखंड मोहड़ा में मतदान किये हैं। वर्ष 2001 से मतदान कर रहे हैं।

ग्राम शिवलाल विगहा से ग्रामीणों द्वारा बयान दिया गया है कि हमलोग पंचायत चुनाव में शिवलाल विगहा, पंचायत दक्षिणी कजुर, प्रखंड मोहड़ा मे मतदान किये हैं।

ग्राम अम्बा विगहा के ग्रामीणों द्वारा बयान दिया गया कि हमलोग पंचायत चुनाव में मध्य विद्यालय कोरियाचक, पंचायत दक्षिणी कजुर, प्रखंड मोहड़ा में मतदान किये हैं।

ग्राम लालूचक के ग्रामीणों द्वारा बयान दिया गया कि हमलोग पंचायत चुनाव में प्राथमिक विद्यालय रजवाड़ा कला, पंचायत दक्षिणी कजुर, प्रखंड मोहड़ा में मतदान किये हैं। संगीता देवी द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा मध्य विद्यालय, कोरियाचक, पंचायत दक्षिणी कजुर में मतदान किये हैं।

परिवादी श्री अरविन्द सिंह द्वारा बताया गया कि लालूचक ग्राम के कुछ मतदाता मध्य विद्यालय कोरियाचक एवं अम्बा विगहा के कुछ लोग प्राथमिक विद्यालय रजवाड़ा मतदान केन्द्र पर मतदान करते हैं। इससे स्पष्ट है कि मतदाता अपने–अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहें हैं। जाँच पदाधिकारी द्वारा ग्रामीणों का बयान संलग्न किया गया है।"

9. परिवादी का दोनों दावा गलत पाये जाने के उपरान्त उनके द्वारा पुनः अपना रूख बदल दिया गया तथा पुनः पुरक शपथ पत्र के माध्यम से अपने पुराने मांग को दुहराया गया तथा दावा किया गया कि मूल आवेदन पत्र में दावा किये जा रहे 5 (पाँच) ग्रामों के मतदाता किसी भी ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में शामिल नहीं है तथा उत्तरी कजूर एवं दक्षिणी कजूर के मतदाता परस्पर एक दूसरे गाँव के लिए मतदान कर रहे हैं।

10. आयोग द्वारा पुनः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गया को आदेश दिया गया कि वादी के दावे के अनुसार प्रश्नगत 5 (पाँच) ग्रामों की भौतिक अवस्थिति से संबंधित नजरी नक्शा, साक्ष्य सहित मतदाता सूची, परिवादी द्वारा यदि छुटे गये मतदाताओं की सूची उपलब्ध करायी जाती है, तो उसकी अवस्थिति/उपस्थिति के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

11. आयोग के आदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गया द्वारा स्पष्ट नजरी नक्शा उपलब्ध कराया गया, जिस पर स्वयं जिला पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर उपलब्ध है। उक्त नजरी नक्शे के अनुसार जिला प्रशासन का दावा सत्य पाया गया तथा परिवादी का दावा सत्य नहीं पाया गया। दिये नजरी नक्शा के अनुसार भीवालाल दीघा, अम्बा दीघा, लालुचक तथा कन्हैया दीघा सभी के सभी वर्तमान कजूर पंचायत के सीमान्तर्गत है इसलिए वादी का प्रथम दावा की उक्त 4 (चार) गाँव किसी भी पंचायत में उपलब्ध नहीं है, सत्य नहीं पाया गया।

12. मतदाताओं के सत्यापन के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गया द्वारा पत्रांक–1345/पं0 दिनांक–08.06.2024 तथा पत्रांक–2625/पं0 दिनांक–19.08.2025 द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन का प्रमुख तथ्य निम्नवत है–

(A) पंचायत परिसीमन (demarcation of village) जो जिला गजट प्रकाशित 01.07.1994 एवं अधिसूचित 06.11.1995 के अनुसार पंचायत निर्वाचन हो।	पंचायत परिसीमन (demarcation of village) जिला गजट प्रकाशित 01.07.1994 एवं अधिसूचित 06.11.1995 के अनुसार केवल उत्तरी कजूर एवं दक्षिणी कजूर का ही उल्लेख है। अनुलग्नक–1 दृष्टव्य ज्ञात हो कि District CENSUS HANDBOOK Gaya के पृष्ठ संख्या–162 में भी मोहड़ा प्रखंड (Block 0480 Location Code & No Village Location Code 25142) में कजूर ही उल्लेख है जिसकी पुरूष जनसंख्या 8836 एवं महिला जनसंख्या 8538 अंकित है।
(B) "demarcate of village of the Northern and Southern Kajoor Panchayat" जिला गजट में है उसके निर्वाचक उसी पंचायत में मतदान का प्रयोग करे।	जिला गजट में अंकित उत्तरी कजूर एवं दक्षिणी कजूर का नाम है विस्तृत व्याख्या– प्रत्युत्तर A पृष्ठ संख्या–1 पर मौजूद है। अनुलग्नक–1 एवं अनुलग्नक–2 दृष्टव्य ज्ञात हो कि पंचायत निर्वाचन–2021 के प्रपत्र–05 का अध्ययन करने पर उतरी कजूर से निम्न ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। ➢ प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–01 में टिकराचक का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर 01 में ही दर्ज है। सत्यापन एवं भौगोलिक नक्शा में अवलोकन में इमामगंज एवं गेहूनी ग्राम के भी मतदाता इसी मतदाता सूची में दर्ज है। मतदाताओं की संख्या–966 ➢ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02 में दमोदरा का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर 02 में ही दर्ज है। मतदाताओं की संख्या 642 साथ ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

संख्या–03 में दामोदरा का नाम दर्ज है। जिसकी मतदाताओं की संख्या–713 है।

- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–04 में सुखे विगहा एवं नीमा का नाम दर्ज है जिसके header page में ही 04 दर्ज है। मतदाताओं की कुल संख्या–733 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–05, 06, 07, 08, 09 में कजूर का ही नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page में भी नाम का उल्लेख है। मतदाताओं की संख्या क्रमशः 582, 434, 635, 385, 567 है।

पंचायत निर्वाचन–2021 के प्रपत्र–05 का अध्ययन करने पर दक्षिणी कजूर से निम्न ग्रामों को सम्मलित किया गया है।

- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 01 में मलबिगहा का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर मलबिगहा है साथ ही भलुआही ग्राम के मतदाता का नाम सम्मलित है जिसकी संख्या–322 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02 में रजवाड़ाकला का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर मलबिगहा है परन्तु इसमें केन्दुआचक ग्राम के मतदाता का नाम सम्मलित है। जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या 411 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 03 में कोरियाचक का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर कोरियाचक एवं अम्माविगहा ग्राम के मतदाता का नाम सम्मलित है। जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या–549 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–04 में रजवाड़ाकला का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर लालुचक ग्राम के मतदाता का नाम सम्मलित है जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या–596 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 05 में मलबिगहा का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर मोहड़ा गाँव (महादलित टोला सहित) ग्राम के मतदाता का नाम सम्मलित है। जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या–451 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 06 में रजवाड़ाकला का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर राजवाड़ाकला/रजवाड़ाखुर्द ग्राम के मतदाता का नाम सम्मलित है। जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या–1152 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 07 में रजवाड़ाखुर्द का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर रजवाड़ाखुर्द (राजवाड़ाकला यादव टोला सहित) ग्राम के मतदाता का नाम सम्मलित है। जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या–384 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 08 में शिवलाल बिगहा का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर शिवलाल बिगहा (बिचला बिगहा एवं कन्हईयां बिगहा सहित) ग्राम के मतदाता का नाम सम्मलित है। जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या–805 है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 09 में मल बिगहा का नाम दर्ज है

	जिसके मतदाता सूची के header page पर मोहड़ा अंकित है इसमें मल बिगहा ग्राम के मतदाताओं का नाम सम्मलित है। जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या–319 है। ➢ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 में बलुआ पहाड़ का नाम दर्ज है जिसके मतदाता सूची के header page पर बलुआ पहाड़ का नाम उल्लेख सहित बरबिगहा, करसी ग्राम के मतदाताओं का नाम सम्मलित है। जिसकी कुल मतदाताअें की संख्या–765 है।
(C) जिला गजट में नामित ग्रामों / स्थानों का नाम का उल्लेख नहीं है जो ग्राम पंचायत निर्वाचन में भाग ले रहे हैं।	उपर्युक्त प्रत्युत्तर पूर्व में (A) अनुलग्नक 1 एवं अनुलग्नक 2 में उल्लेख है।
(D) पंचायत निर्वाचन, 2021 का उत्तरी कजूर एवं दक्षिणी कजूर अवैध, असंवैधानिक है, तथा परिसीमन के विरूद्ध है।	पंचायत निर्वाचन 2021 का प्रपत्र 5 में उल्लेखनीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उत्तरी कजूर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 01 से 09 तक एवं दक्षिणी कजूर में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 01 से 10 है निर्वाचन में उस क्षेत्र का कोई भी गाँव का नाम छूटा नहीं बल्कि सभी ग्राम सम्मिलित है तथा निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये गये थे।

<u>संयुक्त जाँच दल का मंतव्य</u>

(1) संयुक्त जाँच दल द्वारा अभिलेख का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि CWJC No-320/2022 में दो परिवादी नामित हैः–

जिसमें प्रथम कपिलदेव यादव, पिता–सुखदेव यादव, द्वितीय अरविन्द सिंह, पिता–मुन्द्रिका सिंह के द्वारा याचिका दायर की गयी थी जिसमें अरविन्द सिंह स्वयं 2001 पंचायत निर्वाचन में उत्तरी कजूर के मुखिया निर्वाचित थे तथा उनके द्वारा उसके बाद भी कोई प्रश्नगत नहीं कर 2021 में पराजित पश्चात तर्क प्रस्तुत कर सरकारी कार्य में संशय की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

(2) delimition (परिसीमन) की चर्चा परिवादी द्वारा की गई है जिसके अनुसार यह आयोग की समाप्ति पश्चात किसी भी न्यायालय / प्राधिकार में प्रश्नगत करना निराथक है। ज्ञात हो की परिसीमन आयोग के गठन के समय ही दावा आपतियाँ में ही परिवादी के द्वारा प्रश्नगत करने पर मामले का निप्पटान आयोग के द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग के समाप्ती पश्चात किसी भी तरह का प्रश्नगत निष्पादन करना यथोचित प्रतित नहीं होता है।

(3) परिवादी द्वारा अपने CWJC writ के synopisis में जो ग्राम यथा (क) भिवालाल विगहा टंकण भूल शिवलाल बिगहा (ख) अम्मा विगहा (ग) लालूचक (घ) कन्हैया बिगहा ग्राम का उल्लेख किया गया है, यह सभी ग्राम के मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जिसकी रिपोर्ट पूर्व में ही अनुमंडल

कार्यालय नीमचक बथानी मुख्यालय खिजरसराय का पत्रांक–2525 दिनांक–29.11.2023 विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उसी प्रकार ग्राम फूल बिगहा एवं इमामगंज के मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट अनुमंडल कार्यालय, नीमचक बथानी मु0 खिजरसराय का पत्रांक–644 दिनांक–03.06. 2024 के द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

(4) परिवादी के तथ्यात्मक किसी भी साक्ष्य को प्रामाणिकता नहीं करता है जबकि जिला प्रशासन/अनुमंडल संयुक्त जाँच दल द्वारा उनके प्रश्नगत सभी कंडिकाओं का प्रत्युत्तर विस्तृत रूप से दिया जा रहा है। पूर्व में परिवादी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामित ग्राम के मतदाता द्वारा मत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिसकी प्रत्युत्तर क्रम संख्या 03 में उल्लेखित है।

(5) जिला गजट के अनुसार पंचायत निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने संबंधी तर्क प्रस्तुत किया जा रहा जबकि जिला गजट में उत्तरी कजूर एवं दक्षिणी कजूर अंकित है। वह भी जीर्ण–श्रृण पृष्ठों में संधारित है।

(6) अतः संयुक्त जाँच दल का मंतव्य है कि परिवादी द्वारा कोई भी तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के बजह से जाँच दल द्वारा उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेज के आधार पर तथ्यात्मक विस्तृत परिवेदन संकलन कर अनुलग्नक एवं ग्राम (राजस्व ग्राम कजूर) का नक्शा सत्यापित प्रति के साथ समर्पित की जा रही है।

13. आयोग द्वारा उक्त प्रतिवेदनों एवं अब तक उपलब्ध अभिलेखों तथा साक्ष्यों का सम्यक विश्लेषण किया गया, तो पाया गया कि –

1. C.W.J.C.No-320/2020में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सही तथ्यों के रखे बिना आदेश प्राप्त किया गया, क्योंकि उक्त वाद के एक पक्षकार श्री अरविन्द सिंह 1994–95 में निष्पादित परिसीमन/वार्ड गठन प्रक्रिया के उपरान्त अस्तित्व में आये उत्तरी कजूर एवं दक्षिणी कजूर पंचायत के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते रहे हैं।

2. वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई तथ्यात्मक साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जिससे उनके किसी भी अभिकथन की पुष्टि हो रही हो।

3. वादी का दावा दो भाग में विभक्त पाया गया, जिसमें प्रथम भाग में चार ग्रामों भीवालाल दीघा, अम्बा दीघा, लालूचक तथा कन्हैया दीघा को दोनों कजूर पंचातय (उत्तरी एवं दक्षिणी) में शामिल होना

नहीं बताया गया, को असत्य पाया गया है। जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं हस्ताक्षरयुक्त नजरी नक्शा से यह प्रमाणित है कि उक्त चारों गाँव उत्तरी एवं दक्षिणी कजूर पंचायत के परिधि में अवस्थित है तथा उसके निवासी अपने–अपने क्षेत्रों के मतदाता सूची में पंजीकृत है।

द्वितीय भाग में यह दावा किया गया था कि उत्तरी कजूर पंचायत के मतदाता दक्षिणी कजूर पंचायत हेतु मतदान करते है जबकि दक्षिणी कजूर पंचायत के मतदाता उत्तरी कजूर हेतु मतदान करते हैं, भी गलत पाया गया। अनेकों स्थल निरीक्षणों, परिवादियों के उपस्थिति में स्थलीय जाँच, सैम्पल जाँच, मतदाता सूची, प्रभावित मतदाताओं के बयान एवं आपत्तियों के आधार पर जिला प्रशासन का प्रतिवेदन प्रमाणित करता है कि उक्त पंचायतों के मतदाता अपने–अपने क्षेत्र के मतदाता सूची में ही पंजीकृत हैं।

वादी कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त पंचायतों के मतदाता अपने पंचायत को छोड़कर दूसर पंचायत हेतु मतदान कर रहे हैं। स्थल निरीक्षण के समय मे भी अथवा सुनवाई के दौरान भी कोई ऐसा मतदाता उपस्थित नहीं हुआ जिससे वादी का दावा प्रमाणित हो सके।

आयोग जिला प्रशासन की इस मंतव्य से सहमत है कि C.W.J.C.No-320/2020 के वादी श्री अरविन्द सिंह द्वारा परिसीमन वर्ष 1994–95 के दौरान आपत्ति नहीं करने के कारण तथा उसी परिसीमन के आधार पर हुए निर्वाचन में भाग लेने पर वर्तमान में उक्त परिसीमन को चुनौती देने के विधिक अधिकार को खो चुके हैं, क्योंकि एक तो आपत्ति की वैधानिक समयावधि समाप्त हो चुकी है तथा लगभग 30 वर्ष पूर्व हुए परिसीमन के आधार पर पांच चुनाव हो चुके हैं। चुनाव हारने के उपरान्त परिसीमन को प्रश्नगत करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि चुनाव जितने के समय वादी द्वारा इसे प्रश्नगत नहीं किया गया था।

आयोग द्वारा परिवादी के हर अनुरोध पर वैधानिक दृष्टिकोण एवं व्यवहार में होने पाये जाने वाले आम समस्याओं को ध्यान में रखकर कई बार जिला प्रशासन के वरीय स्तर के पदाधिकारियों से जाँच कराया गया तो हर बार एक तरह के परिणाम पाये गये। जाँच प्रक्रिया एवं स्थल निरीक्षण में परिवादियों को भी शामिल कराया गया परन्तु उनके दावे के समर्थन में कोई भी तथ्यात्मक अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इसके बावजूद जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गया को यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में होने वाले आम/उप निर्वाचनों हेतु जब भी मतदाता सूची का निर्माण किया जाए, तो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) तथा बिहार

पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006(यथासंशोधित) में वर्णित प्रावधानों के अधीन उत्तरी कजूर एवं दक्षिणी कजूर पंचायत के मतदाता सूची के विखंडन में विशेष सावधानी बरती जाये तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस समय लागू नियमावली एवं दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए उसका निस्तारण किया जाये।

उक्त आदेश के साथ दायर representation को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
19.11.2025
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

ह0/–
19.11.2025
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– विधि 60–58/2022 पटना, दिनांक................................../–

प्रतिलिपिः– श्री कपिलदेव यादव, पिता–श्री सुखदेव यादव, ग्राम–सुखे बिगहा खरउआ, जिला–गयाजी एवं श्री अरविन्द सिंह, पिता–श्री मुंद्रीका सिंह, कजूर, गया कजूर, जिला– गयाजी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– विधि 60–58/2022 4346 पटना, दिनांक 19.11.25/–

प्रतिलिपि :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचात)–सह–जिला पदाधिकारी, गयाजी/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गयाजी को आदेश दिया जाता है कि आदेश के प्रति वादियों को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन 48 घंटों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

19/11/25
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

E:\dhiru\Court\subodhji\Kapildeo yadav.docx